



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के
मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पोर्ट क्षेत्र,
विशाखापट्टणम - 530035

Office of the Chief Commissioner,
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
1st Floor, GST Bhavan, Port Area,
Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं. 08/2025 (प्रशासनिक अधिकारी)
Establishment Order (G.O) No. 08/2025 (Administrative Officer)
दिनांक 09 अप्रैल 2025 Dated 09th April 2025

श्री बी संकरा राव, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान हवलदार, विशाखापट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय को नासिन, क्षेत्रीय कैंपस, विशाखापट्टणम में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक तैनात किया जाता है।

Shri B Sankara Rao, Administrative Officer, Visakhapatnam CGST Commissionerate is hereby posted to NACIN, Zonal Campus, Visakhapatnam with immediate effect and until further orders.

2. उक्त प्रशासनिक अधिकारी को, 30.04.2025 को, या उससे पहले, अपने नए पदस्थापन स्थान पर रिपोर्ट करना है, ऐसा न करने पर उनको 30.04.2025 को उनकी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त माना जाएगा। संबंधित आयुक्तालय इस कार्यालय को उनके कार्यमुक्ति/कार्य ग्रहण करने की तिथि के बारे में 30.04.2025 तक सूचित करेंगे।

The above Administrative Officer is to join his new place of posting on or before 30.04.2025 failing which he would be deemed to be relieved from his present place of posting on 30.04.2025. The date of relief / joining shall be intimated to this office by respective Commissionerate by 05.05.2025.

3. प्रशासनिक अधिकारी के संवर्ग में एजीटी 2025 के लिए प्राप्त सभी अभ्यावेदन इस स्थापना आदेश के जारी होने के साथ निस्तारित किए जाते हैं। All the representations received for AGT 2025 in the cadre of Administrative Officer stand disposed with the issue of this Establishment Order.

4. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए। Necessary entries may be made in relevant records.

5. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

6. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of the Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

(एम. श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[Issued from file GCCO/II/(3)/20/2025-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM-Part(3)]

सेवा में

संबंधित व्यक्ति को (संबंधित आयुक्तालय से)।

To

The Individual (through Commissionerate)

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम सीजीएसटी / हैदराबाद सीजीएसटी (संनिप्रा) आयुक्तालय।

2. प्रधान अपर महानिदेशक / अपर महानिदेशक - / सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमि, क्षेत्रीय कैंपस, विशाखापट्टणम ।
3. मु.ले. अधिकारी / आ सं अ विशाखापट्टणम जीएसटी आयुक्तालय।
4. वेतन एवं ले. अधिकारी, विशाखापट्टणम।
5. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:-

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Hyderabad (CCA) Commissionerate.
2. The Pr.ADG/ ADG - NACIN, Visakhapatnam Zonal Campus, Visakhapatnam
3. CAO / DDO Visakhapatnam CGST Commissionerate
4. PAO of Visakhapatnam .
5. Notice Board/website/Stock file.